न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः-2019/00140 दर्ज तिथिः-15.07.2019

1. जेठीदेवी पत्नी खरथाराम
   जाति जाट निवासी आडेल पनजी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

............................वादीगण

बनाम

1. विरधा पुत्र करना
2. नारणा पुत्र करना जाति जाट निवासी आडेल पनजी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3. तहसीलदार गुडामालानी

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः-श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीः-श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

-:निर्णयः-

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा-88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 524/28/7.0982 है0, 525/28/0.5018 है0 मौजा धोलानाडा, खसरा संख्या 447/0.0324 है0, 910/448/10.9670 है0 मौजा बटेरों की बेरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी वादीनी के ससुर तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता करनाराम की खातेदारी आराजी थी। खातेदार करनाराम के तीन पुत्र विरधाराम, खरथाराम एवं नारणाराम हैं। मझले पुत्र खरथाराम की मृत्यु पिता करनाराम की मृत्यु से पूर्व हो गई थी। तत्पश्चात् खातेदार करनाराम की विरासत अनुसार विरधाराम पुत्र करनाराम एवं नारणाराम पुत्र करनाराम के हिस्से खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक आराजी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 तथा प्रतिवादी संख्या 01 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू के अंतर्गत आने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादीगण वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। असल में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

करनाराम की विरासत अनुसार उक्त आराजी करनाराम के दो जायंदा पुत्रों के साथ मृत्तक पुत्र खरथाराम की पत्नी वादीनी भी उक्त आराजी में हक निहित था। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादीनी के हिस्सों को ध्यान में नहीं रखते हुए केवल प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम नामांतरकरण पारित करवा लिया। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त आराजी से वादीनी को बेदखल कर भू माफियाओं को बेचान करने पर आमादा है तथा वादीनी के हक हिस्से की आराजी को बैचान या हस्तांतरण करने की योजना बना रहे हैं। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वंश वृक्षावली अनुसार करना के वंशज उक्त आराजी पर काबिज काश्त हैं। वादीनी द्वारा अपने पति की फौतगी के लम्बे अर्से पश्चात् वाद पेश किया गया है। जो कालातीत होने से चलने योग्य नहीं है। साथ ही वादीनी द्वारा लम्बे अर्से तक उक्त पारित नामांतरकरण के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है। वादीनी द्वारा मात्र बहकावे में आकर उक्त कालातीत अवधि के पश्चात् पेश वाद चलने योग्य नहीं होने से काबिल–ए–खारिज है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गयेः–

- *आया वादीनी ग्राम धोलानाडा के खसरा संख्या 524/28 रकबा 47.17 बीघा, खसरा संख्या 525/28 रकबा 3.02 बीघा, ग्राम बटेरों की बेरी के खसरा संख्या 447 रकबा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 910/448 रकबा 67.15 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है?*

  (जिम्मे वादीनी)

- *आया वादीनी बाद घोषणा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने के अधिकारी हैं?*

  (जिम्मे वादीनी)

- *आया वादीनी ने अपने पति की फौतगी के बाद भूमि में नाम दर्ज करने की कोई अपील नहीं की है तथा सक्षम न्यायालय से अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वारिशान की घोषणा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही वादीनी वाद लाने की अधिकारीणी है एवं वादीनी का वाद कालातीत वाद होने से वादीनी का वाद खारिज करवाने के अधिकारी हैं?*

  (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01)

- अन्य सहायता..............

4. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 167 मौजा धोलानाडा	प्रदर्श–01
नक्शा ट्रेस	खसरा संख्या 524/28 एवं 525/28	प्रदर्श–02
नक्शा ट्रेस	खसरा संख्या 910/448 मौजा बटेरों की बेरी	प्रदर्श–03
जमाबंदी	खाता संख्या 45 मौजा बटेरों की बेरी	प्रदर्श–04
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 32 मौजा आडेल पनजी	प्रदर्श–05
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 310 मोजा जूनी उन्दरी	प्रदर्श–06
–	खरथाराम पुत्र करनाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र	प्रदर्श–07
–	जेठीदेवी का जनाधार कार्ड	प्रदर्श–8ए
–	जेठीदेवी पत्नी खरथाराम का आधार कार्ड	प्रदर्श–9ए
–	तहसीलदार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.10.2021	प्रदर्श–11
–	जेठीदेवी का राशन कार्ड	प्रदर्श–12ए

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
विशनाराम पुत्र नारणाराम	जाट	आडेल पनजी
जेठीदेवी पत्नी खरथाराम	जाट	आडेल पनजी

6. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

7. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः–

   1. *आया वादीनी ग्राम धोलानाडा के खसरा संख्या 524/28 रकबा 47.17 बीघा, खसरा संख्या 525/28 रकबा 3.02 बीघा, ग्राम बटेरों की बेरी के खसरा संख्या 447 रकबा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 910/448 रकबा 67.15 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।*

   ....*वादीगण*

8. प्रकरण में प्रथम तनकी वादी की खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने से संबंधित है।

9. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू विधि से शासित होते है। यह भी निर्विवादित है कि करनाराम के तीन पुत्र विरधा, खरथाराम व नारणाराम थे। प्रकरण में निर्विवादित है कि खरथाराम की मृत्यु करनाराम की मृत्यु से पूर्व हो गई थी। साथ ही वादी जेठीदेवी खरथाराम पुत्र करनाराम की विधवा होना भी निर्विवादित है। इसी प्रकार यह भी निर्विवादित है कि मुतनाजा आराजी पैतृक संपति है।

10. इस प्रकार सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने के पश्चात धारा—8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

11. प्रकरण में वादी व प्रतिवादी का निर्विवादित सजरा निम्न प्रकार है–

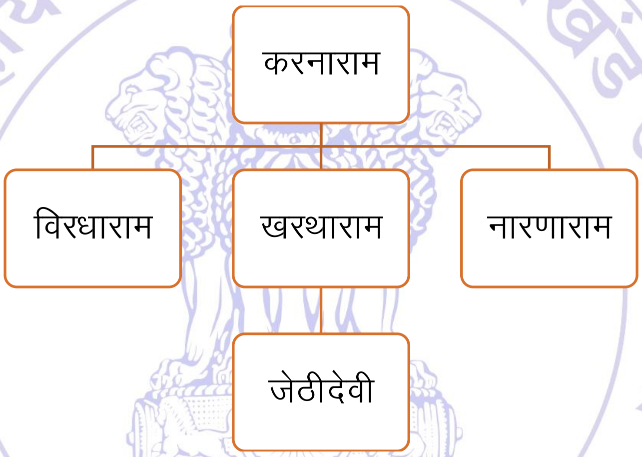

12. इस प्रकार प्रकरण पैतृक संपति में विधवा के अधिकार से संबंधित है। इस संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या A.S.No.696/2017 उनवान *Malliga (Died) vs S.Shanmugam (Died)* में दिनांक 13.11.2024 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत पैतृक संपति में विधवा के अधिकार की विस्तृत विवेचना कर न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। जिसका प्रासांगिक उद्धरण निम्न प्रकार हैः–

15. The contention of the learned counsel for the respondents 5 to 9 is that since Sevi Gounder died prior to the coming into force of the Hindu Succession Act, the provisions of Section 2 of the Hindu Widow's Remarriage Act would apply and therefore, upon remarriage, the widow will be disqualified from inheriting the share of her husband in the properties. There is a fallacy in the said argument of the learned counsel. It is settled position of law that the vested remaindermen get their right upon the execution of the document in their favour or if the document which confers a right on them is executed prior to their birth, they would take a right upon birth. Therefore, Chinnaiyan, on his birth, had inherited 1/3 share as a remainderman and other two sons of Sevi Gounder namely the plaintiff and the first defendant would have the remaining 2/3rd shares.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

16. On the death of Chinnaiyan in the year 1968, his share in the property would devolve on his heirs. The Hindu Succession Act came into force in 1956. Section 4 of the Hindu Succession Act reads as follows:

> *"4.Over-riding effect of Act. --(1) Save as otherwise expressly provided in this Act,--*
> *(a) any text, rules or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this Act ;*
> *(b) any other law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to apply to Hindus is so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act.*
> *(2) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing contained in this Act shall be deemed to affect the provisions of any law for the time https://www.mhc.tn.gov.in/judis being in force providing for the prevention of fragmentation of agricultural holdings or for the fixation of ceilings or for the devolution of tenancy rights in respect of such holdings."*

17. The above provision gives an overriding effect to the provisions of the Act over any other law that was in force immediately before the commencement of the Act insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in the Act. The Hindu Succession Act,1956 does not contain a provision, which disqualifies widows from inheriting their husband's properties or disqualifying the widows from taking a share in the husband's property upon remarriage. The only provision that imposed a disqualification on widows was Section 24 of the Hindu Succession Act which reads as follows:

> *"24. Certain widows remarrying may not inherit as widows.*
> *Any heir who is related to an intestate as the widow of a predeceased son, the widow of a predeceased son of a predeceased son or widow of a brother shall not be entitled to succeed to the property of the intestate as such widow, if on the date the succession opens, she has remarried."*

18. Even the above provision as it stood prior to its repeal by Act 39 of 2005, does not bar a widow from inheriting her husband's estate. A close reading of the above provision would show that only widows of a pre-deceased son or a pre-deceased son of a pre-deceased son or widow of a brother, would face a disqualification upon remarriage. Even that provision has now been repealed by the Hindu Succession Amendment Act, 39 of 2005. Therefore, when succession opened to the estate of Chinnaiyan in the year 1968, the Hindu Succession Act had come into force. Any text or rule of Hindu law or any statutory

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

provision in any other enactment that is inconsistent with the provisions of the Act will cease to apply. Therefore, Section 2 of the Hindu Women's Right to Property Act, 1937 will cease to apply.

19. The said legal position has also been reiterated by the Hon'ble Supreme Court in Cherotte Sugathan's case (supra). A Division Bench of this Court in Chinnappavu Naidu vs. Meenakshi Ammal and another, reported in (AIR 1971 MADRAS 453), has also considered the effect of the overriding provision in the Hindu Succession Act as against Section 2 of the Hindu Widow's Remarriage Act. The conflict between Section 14(1) of the Hindu Succession Act and Section 2 of the Hindu Widow's Remarriage Act was examined by the Division Bench and it had held as follows:

> *"2. Section 2 of the Hindu Widows' Re-marriage) Act. 1856, provided that a Hindu widow on remarriage shall forfeit her right to the property which she had inherited from her husband. Now, does this provision affect the first plaintiff? Learned counsel for the appellant contends that Section 2 of the Hindu Widows' Re-marriage Act has not been expressly repealed by the Hindu Succession Act and that Section 24 itself shows that the legislature was conscious that in case of re-marriage by a widow she should not be able succeed to her husband. In view of this it is said that the forfeiture provided by Section 2 of the Hindu Widows' Re-marriage Act still obtains and it would deprive the first plaintiff of her right to still hold the property of her husband. Though the point is not free from doubt, a combined reading of Sections 4 (1) (b), 14, 27 and 28 leaves us with the impression that the provisions of the Hindu Succession Act have overriding effect and Section 14 (1), which is absolute and unrestricted in its terms and sweep, enables the first plaintiff to hold the property as absolute owner thereof. The test for the application of Section 14(1) is whether, on the date of the commencement of the Hindu Succession Act, 1956, a Hindu female was in possession of any property as a limited owner. If she was, the limited estate would be converted into full ownership. There is nothing in Section 14(1) or any other section to qualify the absolute ownership or to forfeit her full ownership on her re-marriage. It is true the Legislature was certainly conscious of the disqualification based on re-marriage. Section 24 will incapacitate a widow on her re-marriage from succeeding to the property of her husband. But nowhere has it been stated in the Act that once she has succeeded, her subsequent marriage will forfeit her right to hold the property. On the other hand, clause (b) of Section 4(1) makes it clear that "any other law in force immediately before the*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

> *commencement of this Act shall cease to apply to Hindus in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act." Section 2 of the Hindu Widows' Remarriage Act 1856, is to our mind, definitely in conflict with Section 14 (1) which says that, if the widow was possessed of a limited estate at the commencement of the Act. It would be converted into a full ownership in her. The intention of the Hindu Succession Act, whether it is deliberate or not, appears to be as its provisions stand, that a subsequent remarriage will not work forfeiture. That is also consistent with authority. Ramaiya v. Mottayya. ILR (1952) Mad 187: (AIR 1951 Mad 954) (FB) held that subsequent unchastity will not make a widow forfeit the property which she has succeeded to her husband on his death. The view we have taken is also supported by a Judgment of a single Judge of the Rajasthan High Court in Bhuri Bai v. Champi Bai. AIR 1968 Raj 139. We are, therefore, of the view that the courts below came to the correct conclusion on this aspect of the matter."*

20. The Hon'ble Supreme Court in the case of Cherotte Sugathan, had this to say in Paragraph 13:

> *"13. Succession had not opened in this case when the 1956 Act came into force. Section 2 of the 1856 Act speaks about a limited right but when succession opened on 2.8.1976, first respondent became an absolute owner of the property by reason of inheritance from her husband in terms of subsection (1) of Section 14 of the 1956 Act. Section 4 of the 1956 Act has an overriding effect. The provisions of 1956 Act, thus, shall prevail over the text of any Hindu Law or the provisions of 1856 Act. Section 2 of the 1856 Act would not prevail over the provisions of the 1956 Act having regard to Section 4 and 24 thereof."*

21. Mr.R.Munusamy, the learned counsel for the respondents 1 to 5, would, however, rely upon a judgement of the Hon'ble Supreme Court in Kizhakke Vattakandiyil Madhavan (Dead) Thr. Lrs. vs. Thiyyurkunnath Meethal Janaki and others, rendered in Civil Appeal No.8616 of 2017, wherein, the Hon'ble Supreme Court had invoked Section 2 of the 1856 Act to disqualify a widow who had remarried from succeeding to her husband's estate. But, the perusal of the judgement reveals that on the facts of that case, the succession had opened in the year 1910, much prior to the coming into force of the Hindu Succession Act,1956. Therefore, the said judgement may not, in our considered opinion, apply to the facts of the case.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

22. In the light of the law declared by the Hon'ble Supreme Court, as well as the division bench of this Court as early as in 1971, the Trial Court was not right in concluding that the second defendant, widow of one of the sons of Sevi Gounder, is disqualified from inheriting as a widow of her husband because of her remarriage. Therefore, the second defendant would be entitled to 1/3rd share in Items 1 and 3 of the suit scheduled properties.

13. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पैतृक संपति में किसी सहदायक की मृत्यु के पश्चात उस सहदायक के हिस्से की वारिस उस सहदायक की विधवा होती है। प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत के संदर्भ में विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि जेठीदेवी पत्नी खरथाराम भी पैतृक आराजी मे खरथाराम के हिस्से की विधिक उतराधिकारी व हकदार हैं। इस आधार पर पैतृक आराजी में वादी 1/3 हिस्से की हकदार है। इस आधार पर वादी अपना प्रकरण साबित करने में सफल रहे है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

14. प्रकरण में द्वितीय तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

188. Injunction against wrongful ejectment—
(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.
(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-
(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;
(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

	वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

15. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है।इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को धोलानाडा के खसरा संख्या 524/28 रकबा 47.17 बीघा, खसरा संख्या 525/28 रकबा 3.02 बीघा, ग्राम बटेरों की बेरी के खसरा संख्या 447 रकबा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 910/448 रकबा 67.15 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाकर संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 17.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

जेठीदेवी बनाम विरधाराम
2019 / 00140
निर्णय दिनांकः 17.03.2025
(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2019 / 00140 दर्ज तिथिः–15.07.2019

1. जेठीदेवी पत्नी खरथाराम
   जाति जाट निवासी आडेल पनजी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

............................वादीगण

बनाम

1. विरधा पुत्र करना
2. नारणा पुत्र करना जाति जाट निवासी आडेल पनजी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3. तहसीलदार गुडामालानी

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीः–श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को धोलानाडा के खसरा संख्या 524/28 रकबा 47.17 बीघा, खसरा संख्या 525/28 रकबा 3.02 बीघा, ग्राम बटेरों की बेरी के खसरा संख्या 447 रकबा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 910/448 रकबा 67.15 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाकर संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:45 IST
Reason: SelfAttested